बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001

60वीं, 61वीं एवम् 62वीं सम्मिलित संयुक्त (प्रारम्भिक / मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 21/बी॰पी॰एस॰सी॰–09/2016 सा॰ प्र॰–4640, पटना–15, दिनांक 30.03.2016 द्वारा 60वीं, 61वीं एवं 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को एक ही परीक्षा के माध्यम से आयोजित करने की संसूचित सहमति के आलोक में उक्त परीक्षा के लिए सरकार के विभिन्न विभागों से अलग–अलग सेवाओं/संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियाँ (आरक्षण कोटिवार) निम्नांकित सारणी 01 में दर्शायी गयी हैं।

सारणी - 01

सं. व प्रशासनिक सेवा (गुरूष) जाती जिंचा अनुसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग		सारणी — 01										
विहार प्रशासनिक रोवा (अनुमहल रोवा अनुमहल रोवा (अनुमहल रोवा अनुमहल राज्य	क्रः पद का नाम वेतनमान + आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ कुल न्यूनतम अधिकतम उ								आधकतम उम्र			
विहार प्रशासनिक सेवा (अनुमंडल पराधिकारी / वर्गेष अप समाहती एवं स्मनक्ष) 122 39 03 44 29 07 244 22 वर्ष 37 37 37 37 38 38 38 38	सं₀ी		ग्रेड पे	अनारक्षित	अनुसूचित	अनुसूचित	अत्यत	पिछड़ा	पिछड़े	पद	उम्र	
1. बिहार प्रशासनिक रोवा (अनुमंडल जाति रावा प्रशासनिक रावा (अनुमंडल जाति रावा रावा रावा रावा रावा रावा रावा राव					जाति	जनजाति		वर्ग				
(अनुमंडल पदाधिकारी / वरीय उप समाहती एवं समकते । वर्ष प्रताहती (प्रताहता) वर्ष प्रताहती । वर्ष प							वर्ग					
(महिला) पुलिस सेवा (पुलिस निमान सेवा (अवन सेवाहिकारी) विहास निमान सेवा विहास निमान सेवा (अवन सेवाहिकारी) विहास निमान सेवाहिकारी विहास निमान सेवा (अवन सेवाहिकारी) विहास सेवाहिकारी (अवन अवेवहारी) विहास सेवाहिकारी (अवेवहारी विहास सेवाहिकारी) विहास सेवाहिकारी (अवेवहार सेवाहिका	1.	बिहार प्रशासनिक सेवा	9300-34800/-	122	39	03	44	29	07	244		
बरोध उप समाहतो एवं समावक्ष) 2. विहार पुलिस सेवा (पुलिस जु300-34800/- जु	ļ	(अनुमंडल पदाधिकारी/	G.Pay 5400		1						वर्ष	— 37 वर्ष
2. चिंतर पुलिस सेवा (पुलिस जु300-34800/- G.Pay 5400 37 12 00 13 09 02 73 22 वर्ष पश्चिता) (पश्चिता) (पश्च												
2. बिहार मुलिस सेवा (मुलिस उपयोगिक)		समकक्ष)										
उपाण्डीबाक) G.Pay 5400 37 12 00 13 09 02 73 22 वर्ष परिष्ठण्डा वर्ग (पुरुष प्राप्ति विद्या व	2.		9300-34800/-	15	04	00	06	05	00	30		
3. बिहार वित्त संवा (अप्राप्त स्वाधिकारी)		उपाधीक्षक)	•			1	,				वर्ष	
(वाणिज्यकर पदाधिकारी) (वाण्यकर पदाधिकारी) (वाणकर	2			37	12	00	13	09	02	73	22	पिछड़ा वर्ग (पुरूष
- 40 वर्ष अनुस्वित जाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति (पूंच अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जानजाति (पूंच अनुसूचित जाति पांच अनुसूचित जाति एवं अनुसूच्ये प्रविच्या प	ا ٠٠											एवं महिला)
4. जिला समादेष्टा (गृह रक्षा वाहिनी संगठन) G.Pay 5400 01 01 00 00 00 00 02 20 वर्ष मिहला) — 42 वर्ष मिहला महिला मिहला महिला मिहला महिला महिला मिहला महिला मिहला महिला मिहला महिला मिहला महिला मिहला महिला मिहला महिला मिहला महिला मिहला महिला मिहला महिला महिला महिला महिला महि]	(411-1944)(1411-141(1)	G.1 dy 5 100			-						40 वर्ष
4. जिला समादेष्टा (गृह रक्षा 9300-34800/- 10												
4. जिला समादेष्टा (गृह रक्षा 9300-34800/- 10												अनुसुचित जाति
4. जिला समादेष्टा (गृह रक्षा वि.निश्च प्रवादिनी संगठन)												एवं अनसचित
4. जिला समार्वेस्टा (गृह रक्षा विहास प्रोबंक्टा (गृह रक्षा विहास प्रोबंक्टा) — 6.Pay 5400 — 01 — 00 — 01 — 00 — 00 — 02 — 20 वर्ष महिला) — 42 वर्ष — 42 वर्				-								जनजाति (परूष
वाहिनी संगठन G.Pay 5400 01 01 00 00 00 02 20 वर्ष		जिला समादेष्टा (ग्रह ग्रह्म	9300-34800/-	03	01	00	01	00	00	05	20	
5. जतपाद निरीक्षक 9300-34800/- 6. बिहार प्रोबेशन सेवा 9300-34800/- 7. प्रामीण विकास पदाधिकारी 9300-34800/- 6. किहार प्रोबेशन पदाधिकारी 9300-34800/- 7. प्रामीण विकास पदाधिकारी 9300-34800/- 8. जिला अल्पसंख्यक 9300-34800/- 9. नियोजन पदाधिकारी 6.Pay 4800 10. बिहार निर्वाचन सेवा 9300-34800/- (अवर निबंधक) G.Pay 4800 11. बिहार प्रम सेवा 9300-34800/- (अवर निबंधक) G.Pay 4800 12. ईख पदाधिकारी 9300-34800/- (अवर निबंधक) G.Pay 4800 13. बिहार निर्वाचन सेवा (अवर निबंधकरी) 9300-34800/- (अवर निबंधकरी) G.Pay 4800 14. जिला अल्पसंख्यक 9300-34800/- (अवर निबंधकरी) G.Pay 4800 15. सहायक निबंधक सहयोग (G.Pay 4800 16. राजस्व अधिकारी 9300-34800/- (G.Pay 4800 17. प्रामीण पदाधिकारी (G.Pay 4800) (G.Pay	4.		•	03	01	00	Ų1	00	"	"		
6. बिहार प्रोबेशन सेवा	r			01	01	00	00	00	00	02	ļ	
6. बिहार प्रोबेशन संवा (प्रोबेशन पदाधिकारी)	Э.	ि अस्ताद । गरावाक		01	01	00	00	00	00	02		
(प्रोबेशन पदाधिकारी) G.Pay 4200 7. ग्रामीण विकास पदाधिकारी 9300-34800/- G.Pay 4200 8. जिला अल्पसंख्यक 9300-34800/- कल्याण पदाधिकारी G.Pay 5400 9. नियोजन पदाधिकारी 9300-34800/- जिला नियोजन पदाधिकारी 9300-34800/- जिला नियोजन पदाधिकारी G.Pay 4800 10. बिहार निबन्धन सेवा 9300-34800/- (अवर निबंधक) G.Pay 4800 11. बिहार श्रम सेवा 9300-34800/- (अत्र निबंधक) G.Pay 4800 12. इंख पदाधिकारी 9300-34800/- G.Pay 4800 13. बिहार निबांचन सेवा (अवर 9300-34800/- G.Pay 4800 14. जिला अंकेक्षण पदाधिकारी 9300-34800/- सहयोग समितियाँ G.Pay 4800 15. सहायक निबंधक, सहयोग जि.Pay 4800 16. राजस्व अधिकारी 9300-34800/- जि.Pay 4800 17. चिहार श्रम सेवा (अवर 9300-34800/- जि.Pay 4800 18. जिला अंकेक्षण पदाधिकारी प्राचिकारी		face many about	 	27	42	- 00	12	07	02			
7. प्रामीण विकास पदाधिकारी 9300-34800/-	ь.	I -	· ·	2/	12	00	12	07	02	60		
8. जिला अल्पसंख्यक 9300-34800/- 03 00 00 00 00 00 03 22 वर्ष विद्याप पदाधिकारी 9300-34800/- 07 01 00 01 02 00 11 22 वर्ष 10. बिहार निबंधक 9300-34800/- 03 04 00 00 00 00 00 07 22 वर्ष 11. बिहार अम सेवा 9300-34800/- 03 04 00 00 00 00 07 22 वर्ष 11. बिहार मिर्वाधकरे 9300-34800/- 07 01 00 01 02 00 11 22 वर्ष 11. बिहार अम सेवा 9300-34800/- 03 04 00 00 00 00 07 22 वर्ष 12. ईख पदाधिकारी 9300-34800/- 02 00 00 00 00 00 00 02 22 वर्ष 13. बिहार निर्वाधक 9300-34800/- 04 00 00 00 00 00 02 22 वर्ष 13. बिहार निर्वाधक निर्वाधक 9300-34800/- 04 00 00 00 00 00 00 02 22 वर्ष 14. जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 9300-34800/- 04 01 00 01 01 00 07 22 वर्ष 15. सहायक निर्वाधक निर्वाधक सहयोग 9300-34800/- 01 01 00 01 01 00 03 22 वर्ष 15. पहायक निर्वाधक सहयोग 9300-34800/- सहयोग समितियाँ G.Pay 4800 11. उपलब्धक निर्वाधक सहयोग 9300-34800/- 01 01 00 00 01 01 00 03 22 वर्ष 16. राजस्व अधिकारी 9300-34800/- 6.Pay 4200 20 21 27 28 02 31 22 05 175 22 वर्ष 16. राजस्व अधिकारी 9300-34800/- 6.Pay 4200 20 21 27 28 02 31 22 05 175 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				ļ <u></u>					ļ <u></u>			
8. जिला अल्पसंख्यक विश्वेष्ठ () 9300-34800/- वर्ष () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7.	। ग्रामाण विकास पदाधिकारा		06	01	00	03	01	02	13		
कल्याण पदाधिकारी G.Pay 5400 0 0 00 00 00 00 00 00 03 22 वर्ष 9. जिला नियोजन पदाधिकारी/ जिला नियोजन पदाधिकारी G.Pay 4800 07 01 00 01 02 00 11 22 वर्ष 10. बिहार निबंधक) G.Pay 4800 07 01 00 01 02 00 11 22 वर्ष 11. बिहार अम सेवा (अम अधीक्षक) G.Pay 4800 03 04 00 00 00 00 07 22 वर्ष 12. ईख पदाधिकारी 9300-34800/- G.Pay 4800 02 00 00 00 00 00 00 02 22 वर्ष 13. बिहार निर्वाचन सेवा (अवर (अवर (अवर (अवर (अवर (अवर (अवर (अवर						<u> </u>						
9. नियोजन पदाधिकारी / जिला नियोजन पदाधिकारी 9300-34800/- G.Pay 4800 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 22 वर्ष 10. बिहार निबंधक) G.Pay 4800 03 04 00<	8.			03	00	00	00	00	00	03		
जिला नियोजन पदाधिकारी G.Pay 4800 07 01 00 01 02 00 11 22 वर्ष 11. बिहार निबंधक) G.Pay 4800 03 04 00 00 00 00 07 22 वर्ष 11. बिहार श्रम सेवा (अवर निबंधक) G.Pay 4800 02 00 00 00 00 00 07 22 वर्ष 12. ईख पदाधिकारी 9300-34800/- G.Pay 4800 00 00 00 00 00 00 02 22 वर्ष 13. बिहार निर्वाचन सेवा (अवर G.Pay 4800 00 00 00 00 00 00 00 00 02 22 वर्ष 14. जिला अंकेक्षण पदाधिकारी) G.Pay 4800 04 01 00 01 01 00 07 22 वर्ष 14. जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 9300-34800/- G.Pay 4800 04 01 00 01 01 00 07 22 वर्ष 15. सहायक निबंधक, सहयोग G.Pay 4800 01 01 01 00 01 01 00 03 22 वर्ष 16. राजस्व अधिकारी 9300-34800/- G.Pay 4800 01 01 01 00 00 01 01 00 03 22 वर्ष 16. राजस्व अधिकारी 9300-34800/- G.Pay 4800 01 01 01 00 01 01 00 03 22 वर्ष 16. राजस्व अधिकारी 9300-34800/- G.Pay 4200 01 05 01 07 18 642				ļ	ļ							_
10. बिहार निबन्धन सेवा (अवर निबंधक) G.Pay 4800 07 01 00 01 02 00 11 22 वर्ष 11. बिहार श्रम सेवा (अवर निबंधक) G.Pay 4800 03 04 00 00 00 00 07 22 वर्ष 12. ईख पदाधिकारी 9300-34800/- G.Pay 4800 02 00 00 00 00 00 02 22 वर्ष 13. बिहार निर्वाचन सेवा (अवर निर्वाचन पदाधिकारी) G.Pay 4800 04 00 00 00 00 00 00 04 22 वर्ष 14. जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 9300-34800/- G.Pay 4800 04 01 00 01 01 00 07 22 वर्ष 14. जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 9300-34800/- सहयोग समितियाँ G.Pay 4800 01 01 00 01 01 00 03 22 वर्ष 15. सहायक निबंधक, सहयोग 9300-34800/- ति. राजस्व अधिकारी 9300-34800/- ति. राजस्व अधि	9.			03	00	00	00	00	00	03		1
(अवर निबंधक) G.Pay 4800 00 00 00 00 07 22 वर्ष 11. बिहार श्रम सेवा (अन्न अधीक्षक) G.Pay 4800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			<u> </u>		<u> </u>				<u> </u>		वर्ष	
11. बिहार श्रम सेवा (अम अधीक्षक)	10.			07	01	00	01	02	00	11		
(श्रम अधीक्षक) G.Pay 4800 02 00 00 00 00 00 02 22 वर्ष 12. ईख पदाधिकारी 9300-34800/- G.Pay 4800 04 00 00 00 00 00 00 04 22 वर्ष 13. बिहार निर्वाचन सेवा (अवर 9300-34800/- निर्वाचन पदाधिकारी) G.Pay 4800 04 01 00 01 01 00 07 22 वर्ष 14. जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 9300-34800/- सहयोग समितियाँ G.Pay 4800 01 01 00 01 01 00 07 22 वर्ष 15. सहायक निबंधक, सहयोग 9300-34800/- सिरायक निबंधक, सहयोग G.Pay 4800 87 28 02 31 22 05 175 22 वर्ष 16. राजस्व अधिकारी 9300-34800/- G.Pay 4200 87 28 02 31 22 05 175 22 वर्ष					<u></u>						वर्ष	
12. ईख पदाधिकारी 9300-34800/- G.Pay 4800 00 00 00 00 00 00 02 22 वर्ष 13. बिहार निर्वाचन सेवा (अवर 9300-34800/- निर्वाचन पदाधिकारी) G.Pay 4800 04 01 00 01 01 00 07 22 सहयोग समितियाँ G.Pay 4800 01 01 00 01 01 00 03 22 सहयोक निबंधक, सहयोग G.Pay 4800 01 01 00 00 01 00 03 22 समितियाँ G.Pay 4800 87 28 02 31 22 05 175 22 वर्ष 16. राजस्व अधिकारी 9300-34800/- G.Pay 4200 87 28 02 31 22 05 175 22 वर्ष	11.		9300-34800/-	03	04	00	00	00	00	07		
13. बिहार निर्वाचन सेवा (अवर 9300-34800/- 6.Pay 4800		(श्रम अधीक्षक)	G.Pay 4800								वर्ष	
13. बिहार निर्वाचन सेवा (अवर 9300-34800/- 14. जिला अंकेक्षण पदाधिकारी) 9300-34800/- 14. जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 9300-34800/- 15. सहायक निबंधक, सहयोग (G.Pay 4800) 01 01 00 01 01 00 03 22 वर्ष 15. सहायक निबंधक, सहयोग (G.Pay 4800) 01 01 00 00 01 00 03 22 वर्ष 16. राजस्व अधिकारी 9300-34800/- (G.Pay 4200) 87 28 02 31 22 05 175 22 वर्ष 17. कुल 325 105 5 112 77 18 642 02	12.	ईख पदाधिकारी	9300-34800/-	02	00	00	00	00	00	02		1
13. बिहार निर्वाचन सेवा (अवर 9300-34800/- G.Pay 4800 00 00 00 00 00 00 00 04 22 वर्ष 14. जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 9300-34800/- सहयोग समितियाँ G.Pay 4800 01 01 00 01 01 00 07 22 वर्ष 15. सहायक निबंधक, सहयोग 9300-34800/- सिमितियाँ G.Pay 4800 01 01 00 00 01 00 03 22 वर्ष 14. राजस्व अधिकारी 9300-34800/- 87 28 02 31 22 05 175 22 वर्ष 16. राजस्व अधिकारी 9300-34800/- G.Pay 4200 325 105 5 112 77 18 642			_									
निर्वाचन पदाधिकारी) G.Pay 4800	13.	बिहार निर्वाचन सेवा (अवर		04	00	00	00	00	00	04	22	1
14. जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग सितयाँ 9300-34800/- G.Pay 4800 04 01 00 01 01 00 07 22 वर्ष 15. सहायक निबंधक, सहयोग सितियाँ 9300-34800/- G.Pay 4800 01 01 00 00 01 00 03 22 वर्ष 16. राजस्व अधिकारी 9300-34800/- G.Pay 4200 87 28 02 31 22 05 175 22 वर्ष कुल 325 105 5 112 77 18 642		1 ' '	•			"	"	-		"		
सहायक निबंधक, सहयोग 9300-34800/- 01 01 00 00 01 00 03 22 वर्ष 116. राजस्व अधिकारी 9300-34800/- 6. Pay 4200 28 02 31 22 05 175 22 वर्ष 112 77 18 642	14			04	01	00	01	01	00	07	 	†
15. सहायक निबंधक, सहयोग 9300-34800/- G.Pay 4800 01 00 00 01 00 03 22 16. राजस्व अधिकारी 9300-34800/- G.Pay 4200 87 28 02 31 22 05 175 22 कुल 325 105 5 112 77 18 642			· ·	04	01	30	01	01	"	"		}
सिमितियाँ G.Pay 4800	15			01	01	00	00	01	100	U3		1
16. राजस्व अधिकारी 9300-34800/- G.Pay 4200 87 28 02 31 22 05 175 22 वर्ष कुल 325 105 5 112 77 18 642	1.5.			01	01	50	00	01	00	U3		
G.Pay 4200 वर्ष कुल 325 105 5 112 77 18 642	16		·	07	30	102	21	22	105	170	-	1
कुल 325 105 5 112 77 18 642	10.	राजरप जापपगरा		8/	28	02	31	22	05	1/2		
			G.ray 4200	225	405		4.5		+			
		ળુ લ		325	105	5	112	//	18	642		
	<u></u>	^ •		1		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			1	1		<u>L. </u>

टिप्पणी ः I. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक — 2342, दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक — 2526, दिनांक 18.02.2016 के आलोक में क्रमशः महिलाओं एवं बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नितनी/पोता/पोती के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमानुकूल देय है।

II. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं. — 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में निःशक्त अभ्यर्थियों को नियमानुसार 3% आरक्षण देय है।

- उपर्युक्त संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाईन (online) आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
- ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष योग्यता:--परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में स्नातक या समकक्ष डिग्री के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा।
- आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात जो बिहार के आरक्षण:--मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी (अभ्यर्थी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
 - आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोड के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोड का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। किसी प्रकार की त्रटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
 - सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र सं. -673, दिनांक-08.03.2011 के आलोक में ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के पास निम्नांकित प्रभाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए :-
 - (a) जाति प्रमाण पत्र
 - (b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र

उसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछडी जाति के उम्मीदवारों के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए :–

- (a) जाति प्रमाण पत्र,
- (b) स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- (c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य

- (iv) ऑनलाईन आवेदन करते समय विकलांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले विकलांग उम्मीदवार के पास सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत नि:शक्तता (विकलांगता) प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी समय आयोग द्वारा उसकी मांग किये जाने पर उम्मीदवार उसे प्रस्तुत कर सके।
- (v) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 16144, दिनांक 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार / बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नितनी/पोता/पोती के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग कें ज्ञापांक 2526, दिनांक 18.02.2016 के द्वारा भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नितनी/ पोता/पोती के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण देय है। ऐसे आरक्षण का दावा करनेवाले अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भृतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती होने का) प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।
- 5. आयु—सीमाः [i] (क) उक्त परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा निम्नरूपेण निर्धारित है:-

01.8.2014 - 60वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा

अनारक्षित (पुरूष) – 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछडा वर्ग एवं अत्यन्त पिछडा 01.8.2015 — 61वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा — वर्ग (पुरूष एवं महिला) — 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 01.8.2016 — 62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा — (पुरूष एवं महिला) — 42 वर्ष।

(ख) उक्त परीक्षा में न्यूनतम उम्र सीमा निम्न प्रकार निर्धारित है:--

01.8.2014 - 60वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सारणी - 01 में अंकित सेवाओं में क्रम संख्या 1, 3 एवं 8 से 16 तक की सेवाओं 01.8.2015 — 61वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ⊱ के लिए 22 वर्ष, क्रम संख्या 2, 4, 5 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष तथा क्रम संख्या 01.8.2016 — 62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 6 एवं ७ के लिए २१ वर्ष।

- (ग) (i) 60वीं से 62वीं तक की किसी भी एक परीक्षा में उम्र सीमा के आधार पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवार को उक्त सभी परीक्षाओं के लिए अर्हित माना जाएगा।
 - (ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10.09.2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है।
- (iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में, ऐसे सरकारी सेवक जो तीन वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/सम्वर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट तथा इस परीक्षा सहित, प्रारम्भिक परीक्षा में भाग लेने का कुल 3 (तीन) अवसर अनुमान्य है।
- (iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को यथा संशोधित अधिकतम आय् सीमा के अतिरिक्त विकलांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (v) 01 जनवरी, 1963 के बाद एन.सी.सी. में भर्त्ती किए गए पूर्णकालिक कैंडेट/अनुदेशकों को एन.सी.सी. से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन ऊपर कंडिका 1 में उल्लिखित सेवाओं में पदों पर नियुक्ति के लिए अपनी वास्तविक उम्र से उतने दिन घटाने की अनुमति दी जायेगी, जितने दिनों तक उन्होंने एन सी सी में पूर्णकालिक सेवा की हो और यदि परिणामी उम्र, किसी विशिष्ट सेवा या पद के लिए विहित ऊपरी उम्र सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उनके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि वे उन सेवाओं में या पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र की शर्तें पूरी करते हैं।

(vi) कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी वशर्त कि उनकी

वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

(vii) भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशण्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज / एस.एफ.सीओज सहित) श्रेणी के पदाधिकारी भी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऐसे पदों पर उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्षों तक आयु शिथिलीकरण का लाभ उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज / एस.एफ.सीओज सहित) को अनुमान्य होगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो एवं शर्त-समाप्ति के बाद सैनिक सेवा से विमुक्त हो गये हों अथवा छ महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों, बशत्तें कि ऐसी विमुक्ति कदाचार, अयोग्यता, शारीरिक अक्षमता अथवा अपगता के परिणामस्वरूप नहीं हुई हो।

(viii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (ई.सीओज / एस.एफ.सीओज सहित) जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, वैसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को राज्य सरकार की सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण का जो लाभ दिया गया है, उसका समावेश विचाराधीन छूट में कर लिया जायेगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनुमान्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज / एस.एफ.सीओज सहित) की कारा सेवा हेतु अधिकतम उम्र सीमा तीन वर्ष तथा अन्य सेवाओं के लिए पाँच वर्ष

अधिक होगी।

(ix) सैन्य सेवा से विमुक्त ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण के लाभ का दावा किया हो, सक्षम पदाधिकारी से सैन्य सेवा से विमुक्त होने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।

(x) उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि का सही–सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा और ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अम्यर्थी द्वारा भरी गयी आरक्षण कोटिं के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र नहीं रहने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी विशेष की

अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी। बिहार पुलिस सेवा तथा जिला समादेष्टा (गृह रक्षा वाहिनी संगठन) के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट शारीरिक 5 ईंच और न्यूनतम छाती की माप, बिना फुलाये, 32 (बत्तीस) ईंच होनी चाहिए। परन्तु, अनुसूचित जाति / अनुसूचित क्षमता : जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपर्युक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 3 ईंच तथा छाती की माप, बिना फुलाये, 31 (एकतीस) ईंच होनी चाहिए। महिलाओं की न्यूनतम

ऊँचाई 5 फीट 2 ईंच होनी चाहिए।

उपर्युक्त राज्य सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार उपर्युक्त सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की समेकित, मेघा सूची : एकींकृत रिक्तियों को भरने के निमित्त, सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की विहित, किन्तुं समेकित, एकीकृत मेधासूची प्रकाशित की जायगी; तथा उनकी अन्तर्वीक्षा के पश्चात् अन्तिम परीक्षाफल भी समेकित, एकीकृत किन्तु सेवा / संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार मेधाक्रम में ही निर्गत / प्रकाशित किया जायगा।

बिहार राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं वैसे निःशक्त अभ्यर्थियों जिनकी निःशक्तता 40% या उससे उपर की है एवं इस संबंध में चिकित्सा पर्षद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र है, के लिए 150/- (एक सौ पचास) रूपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रूपये; कुल 200/- (दो सौ) रूपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि एवं अन्य राज्य के सभी उम्मीदवारों के लिए 600/- (छः सौ) रूपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रूपये; कुल 650/— (छः सौ पचास) रूपये चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या 31650243410 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। अभ्यर्थी अपने पास चालान की प्रति सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त चालान की प्रति प्रस्तुत करना होगा।

वैसे सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति / जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो निःशक्तता/अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के लाम का दावा करते है और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे यदि स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते है तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

9. प्रारम्भिक परीक्षा :

शुल्कः

- (i) सम्मिलित, संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा।
- (ii) इस प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहां की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात् बिहार की अर्थ—व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवम् सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे।

- (iii) इस प्रारम्भिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल, अनुवर्ती सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के निमित्त घोषित किया जायेगा। इस निमित्त, कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 01.10.2008 के आलोक में प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (विकलांग) उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।
- 10. (i) प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इच्छानुसार एक ही वैकल्पिक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव मान्य नहीं होगा।
 - (ii) प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से आवेदन पत्र भरवाया जाएगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अविध में परीक्षा शुल्क (मुख्य परीक्षा हेतु) नियमानुकुल ढंग से आयोग के खाता संख्या 31650243410 में बैक चालान के माध्यम से स्टेट बैक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना

(iii) मुख्य परीक्षा हेत् ऐच्छिक विषय एवं कोड निम्नवत है -

क्रम संख्या	हेतु ऐच्छिक विषय एवं कोड निम्नवत है विषय	Subject	विषय कोड
1.	कृषि विज्ञान	Agriculture	04
2.	पश्पालन तथा पश् चिकित्सा विज्ञान	Animal Husbandry & Veterinary Science	05
3.	मानव विज्ञान	Anthropology	06
4.	वनस्पति विज्ञान	Botany	07
5.	रसायन विज्ञान	Chemistry	08
6.	सिविल इंजीनियरिंग	Civil Engineering	09
7.	वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि	Commerce & Accountancy	10
8.	अर्थशास्त्र	Economics	11
9.	विद्युत इंजीनियरिंग	Electrical Engineering	12
10.	भूगोल	Geography	13
11,	भू–विज्ञान	Geology	14
12.	इतिहास	History	15
13.	श्रम एवं समाज कल्याण	Labour and Social Welfare	16
14.	विधि	Law	17
15.	प्रबन्ध	Management	18
16.	गणित	Mathematics	19
17.	यांत्रिक इंजीनियरिंग	Mechanical Engineering	20
18.	दर्शन शास्त्र	Philosophy	21
19.	भौतिकी	Physics	22
20.	राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	Political Science And International Relations	23
21.	मनोविज्ञान	Psychology	24
22.	लोक प्रशासन	Public Administration	25
23.	समाज शास्त्र	Sociology	26
24.	सांख्यिकी	Statistics	27
25.	प्राणी विज्ञान	Zoology	28
26.	हिन्दी भाषा और साहित्य	Hindi Language & Literature	29
27.	अंग्रेजी भाषा और साहित्य	English Language & Literature	30
28.	उर्दू भाषा और साहित्य	Urdu Language & Literature	31
29.	बंगला भाषा और साहित्य	Bangla Language & Literature	32
30.	संस्कृत भाषा और साहित्य	Sanskrit Language & Literature	33
31.	फारसी भाषा और साहित्य	Persian Language & Literature	34
32.	अरबी भाषा और साहित्य	Arabic Language & Literature	35
33.	पाली भाषा और साहित्य	Pali Language & Literature	36
34.	मैथिली भाषा और साहित्य	Maithili Language & Literature	37

किसी भी उम्मीदवार को उपर्युक्त विषयों में से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा।

- 11. वैसे अभ्यर्थी प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग / किसी राज्य लोक सेवा आयोग / अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
- 12. संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जबावदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर आपकी अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

13. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-

(i)

			•
1.		ऑनलाईन प्रक्रिया प्रारम्भ करने की तिथि	27.09.2016 से
2.	(i)	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की तिथि	27.09.2016 से 31.10.2016 तक
	(ii)	बैंक चालान डाउनलोड करने की तिथि	27.09.2016 से 31.10.2016 तक
	(iii)	बैंक में चालान जमा करने की तिथि	27.09.2016 से 31.10.2016 तक
	(iv)	डैशबोर्ड पर चालान विवरणी भरने की तिथि	29.09.2016 से 31.10.2016 तक
3.		ऑनलाईन आवेदन भरने की तिथि	27.09.2016 से 03.11.2016 तक

- (ii) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास ऑनलाईन आवेदन भरते समय उपलब्ध है।
- (iii) उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही—सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। **ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक** (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रूटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रदद कर दी जाएगी।

- iv) उम्मीदवार, चालान में अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।
- (v) इस विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र, चालान की प्रति एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- (vi) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।
- (vii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि चालान पर अंकित Registration Number एवं हार्ड कॉपी पर अंकित Registration Number एक ही (same) है।
- (viii) मात्र रिजस्ट्रेशन करने एवं बैंक में चालान जमा करने से यह नहीं माना जाएगा की आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।
- (ix) उम्मीदवारों को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि बैंक में चालान राशि जमा करने के बाद उसी दिन डैश बोर्ड पर चालान विवरणी अंकित कर लेंगे। चालान विवरणी अंकित करने के 24 घंटे बाद ऑनलाईन आवेदन प्रपन्न खुलेगा। उम्मीदवार दिनांक 31.10.2016 तक निश्चित रूप से चालान विवरणी डैश बोर्ड पर अंकित कर लेंगे।
- (x) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया प्री कर लेंगे।
- (xi) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (xii) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करने समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- 14. बिहार असैनिक सेवा में सीधी नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा संरचना में किये गये संशोधन से सम्बन्धित आवश्यक सूचना आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। साथ ही बिहार असैनिक सेवा (कार्यपालिका शाखा) और बिहार कनीय असैनिक सेवा (मर्त्ती) नियमावली, 1951 के परिशिष्ट—"ध" में अंकित परीक्षा संरचना में किये गये संशोधन की विस्तृत विवरणी एवं पुनरीक्षित पाठ्यक्रम भी आयोग के उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है।

नोटः— अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित, ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं होगा और पूर्ण रूप से इसकी जबावदेही अभ्यर्थी की होगी।

अपर सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना